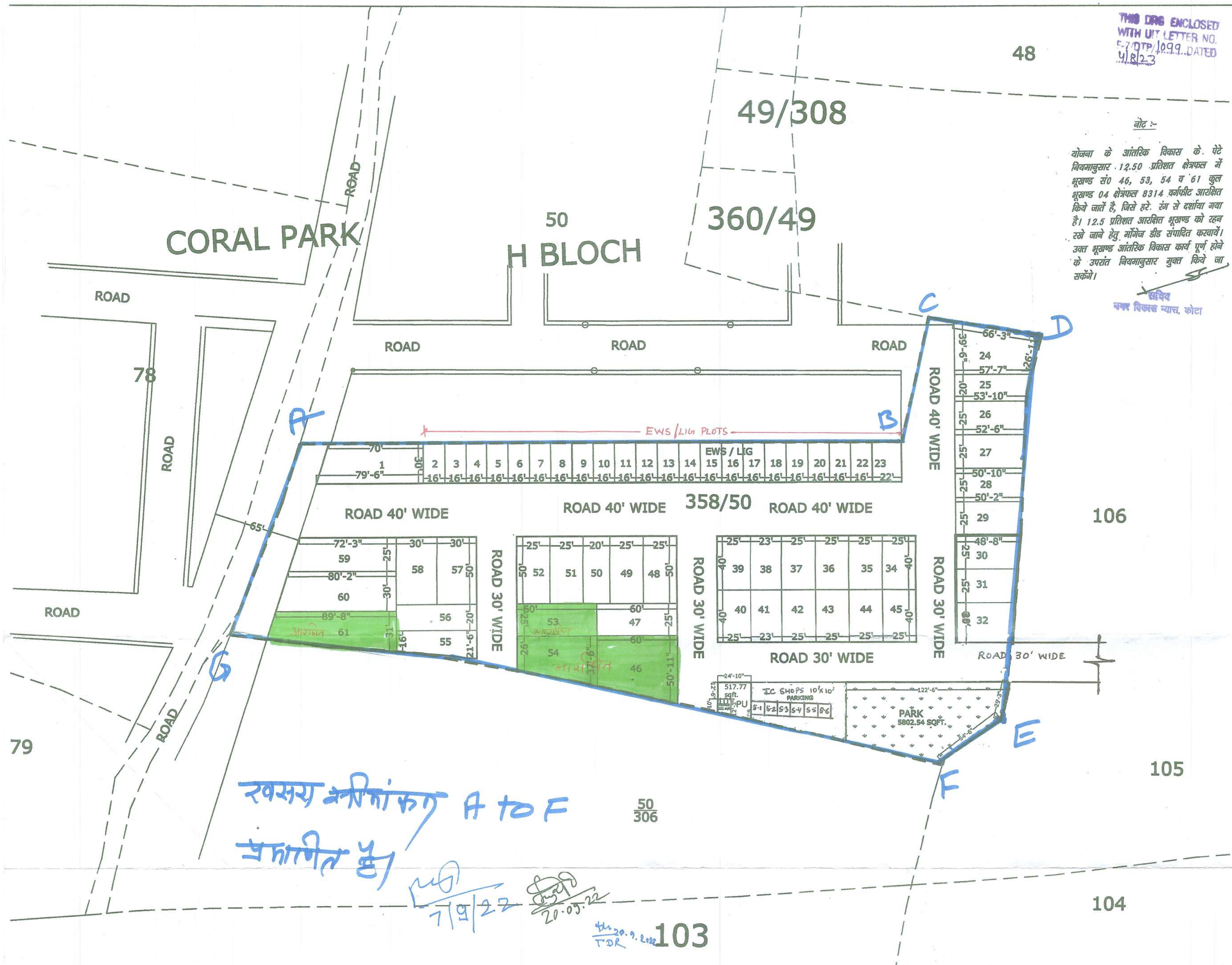




THIS Dwg ENCLOSED
WITH U/I LETTER NO.
5-7/07P/1099 DATED
4/8/23

नोट :-
योजना के आंतरिक विकास के पेटे
नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में
भूखण्ड सं० 46, 53, 54 व 61 कुल
भूखण्ड 04 क्षेत्रफल 8314 वर्गफीट आरक्षित
किये जाते हैं, जिसे हरे रंग से दर्शाया गया
है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन
रखे जाने हेतु गौर्गेन डीड संपादित करवाये।
उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने
के उपरान्त नियमानुसार मुक्त किये जा
सकेंगे।

सविद
नगर विकास न्यास, कोटा

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"S PARK"
KHASRA NO- 358/50
VILLAGE :HANUMANT KHERA
TEHSIL :- LADPURA
DISTT. KOTA (RAJ.)



POWER OF ATTORNEY:-
SUBHASH BAGADI S/O KANHAIYA LAL
5-B-19 TALWANDI KOTA

KHASRA DETAIL

ले-आउट प्लान खसरा नम्बर 358/50 ग्राम हनुवंतखेड़ा क्षेत्रफल 10700 वर्गमीटर (Mark - A to G)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 09/06/2023 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

Residential	I.C.	Park/PU	Road
62219.00 वर्गफीट	2555.00 वर्गफीट 2.22 प्रतिशत	6433.50 वर्गफीट 5.58 प्रतिशत	43923.90 वर्गफीट 38.15 प्रतिशत
54.05 प्रतिशत			

कुल क्षेत्रफल - 115132 वर्गफीट

- (1) पहुँच सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 60 फीट रखा जावे।
- (2) टउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (3) योजना में दर्शित EWS/LIG के भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्राधानानुसार किया जाना होगा।
- (4) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (5) नगरीय विकास विभाग. के पत्र क्रमांक प.3(77)नवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (6) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।
- (7) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

नगर विकास न्यास, कोटा

KHASRA LINE SHOWN THUS

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGINEER
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS
SIGNATURE